हेरिटेज विधान और संरक्षण (उध्दरण)

मुंबई और अन्य स्थानों में-एक एन जी ओ प्रयास

श्याम चयनानी

VI) बृहन्मुंबई के लिये नागरी संरक्षण सह-समिति जनवरी, 1988 में, एक और बड़ा कदम

कुछ समय पहले, महाराष्ट्र शायन ने, बृहन्मुंबई के लिये विकास नियंत्रण कानूनों (इमारत कानूनों और उप कानूनों) में परिवर्तनों पर विचार करने के लिये, सचिनों (वरिष्ठ शासकीय अधिकारी जो किसी विभाग के प्रमुख होते हैं) की एक समिति गठित की थी।

भूत पूर्व महानगर पालिका आयुवत जमशेद कांगा कि पहल पर एक नागरी संरक्षण सह-समिति,(जिसमें हेरिटेज-ग्रुप्स के प्रतिनिधि भी शामिल थे) का गठन उनकी अध्यक्षता में किया गया। इस समिति को बृहन्मुंबई में सामान्यत: हेरिटेज-संरक्षण के लिये एक हेरीटेज-कानुन बनाने पर सुझाव देने। साथ ही हरीटेज-सूचि तैयार करने आदि भी कार्य करने थे।

विभिन्न हेरीटेज ग्रुप्स को महाराष्ट्र शासन के नगर विकास विभाग व्दारा 11जनवरी 1988 को लिखे एक पत्र से इसका आरंभ हुआ। इस पत्र में उल्लेख था कि प्रथम तो मुंबई और राज्य के अन्य शहरों में ऐतिहासिक / शिल्प-कारीयुवत भवनों के संरक्षण के लिये कोई कानुन नहीं हैं। पत्र में आगे उल्लेख था कि मुंबई की विकास योजना (मास्टर-प्लान) में संरक्षण पर एक नया अध्याय जोड़े जाने का प्रस्ताव है और बृहद मुंबई के विकास नियंत्रण कानून में भी परिवर्तन करने का प्रस्ताव है।

इस पत्र के साथ एक सूचि संलग्न थी। इस सूचि में 145 - भवन 7- संरक्षण क्षेत्र 9 - डिझाइन कंट्रोल झोन्स शामिल थे। इसके साथ ही संरक्षण हेतु विकास नियंत्रण विधनों का एक ड्राफ्ट भी संलग्न था।

प्रगति की दिशा में यह एक बड़ा कदम था, क्योंकि कि संरक्षण के लिये न केवल ऐतिहासिक और स्मारक भवनों का ही उल्लेख था वल्कि शिल्पकारी सम्बंधी इमारतों का भी विचार किया जा रहा था। दूसरे यद्यापि पत्र में किसी हेरीटेज-प्रसिंवट्स का संदर्भ नहीं था पर इसका मतलब स्पष्ट था वयों कि परिशिष्ट में संरक्षण क्षेत्रों और डिझाइन नियंत्रण क्षेत्रों की सूचि ही हुई थी। तीसरे प्रस्तापित कानून का एक ड्रापट भी

बना लिया गया था जिसके आधार पर आगे कार्यवाही की जा सकती थी। शायद सबसे अधिक महत्वपूर्ण था यह स्पष्ट उल्लेख कि हेरीटेज संरक्षण मुबई में ही नहीं वल्कि प्रदेश के अन्य भागों में भी आवश्यक है।

VII) मुंबई के लिये हेरीटेज-समिति

अगस्त 1990 में महाराष्ट्र शासन के नगर विकास मंत्री सुशील कुमार शिन्दे ने मुझे मिलने के लिये बुलाया। उस मुलाकात में मैं ने उनसे मुंबई के लिये एक हेरीटेज समिति गठित करने के लिये कहा।

उन्होंने पूछा आय वयों एक नयी समिति चाहते हैं जब कि पहले से ही एक सह-समिति कार्यरत है और उसने अपना काम भी लगभग समाप्त कर लिया है (जब कि नहीं किया था)। मैं ने इशारा किया कि यदि सरकार एक गवर्नमेन्ट रिजोल्यशन (जीआर) जारी करके एक औपचारिक समिति का गठन करती है तो उस समिति को एक बड़ी वैधता प्राप्त होगी। इससे हेरीटेज कानून और हेरीटेज-सूचि की वैधता को हाईकोर्ट में चुनौति देने का अवसर नहीं रहेगा। यह एस अच्छा कदम होगा जो एक द्रस्टान्त के रुप में अन्य स्थानों में भी काम आयेगा। सुशील कुमार शिन्दे इस हेरीटेज समिति के गठन के लिये सहमत हो गये। यह समिति 27 अगस्त 1990 के महाराष्ट्र शासन के एक गवर्नमेन्ट रिजोल्यूशन के व्दारा गठित की गई।

इस समिति की नियुक्ति से एक सबल दृष्टांत स्थापित हुआ, जिसके आधार पर हम 6 महिने 16 मार्च 1991को महाराष्ट्र शासन व्दारा ऐसी ही हेरीटेज समिति पुणे में गठित करवाने में सफल हुए।

इससे भी आगे भारत सरकार ने, हमारे आग्रह पर अपने एक सवर्यूलर पत्र दिनांक 31अवटोबर 1990 के व्दारा, महाराष्ट्र शासन के27अगस्त 1990 के गवर्नमेन्ट रिजोल्यूअन को सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को भेजकर निवेदन किया कि अपने अमूल्य हेरीटेज की पहचान और संरक्षण के लिये, वे भी अपने राज्यों में वैसी ही कार्यवाही करने पर विचार करें।

VIII) बृहन्मुंबई की हेरीटेज सूचि

1990 के अंत में शासन ने मुंबई लिये नियंत्रभ कानूनों के ड्रापट को लगभग अंतिम रुप दे दिया। अब यदि शासन व्दारा हेरीटेज कानून को गजट में प्रकाशित किया जाता था तो वह तभी हो सकता था जब अन्य विकास नियंत्रण कानून भी साथ ही साथ प्रकाशित किये जाएँ। इसके साथ ही शासन, हेरीटेज लिस्टको भी गजट में प्रकाशित करना चाहता थी। महाराष्ट्र शासन के शहरी विकास सचिव डी टी जोसेफ को मैंने बतलाया कि हेरीटेज सूचि पूर्ण नहीं है और उसने गुटियां भी है। इसपर डी टी जोसेफ ने सही तर्क दिया कि सूचि बनाना एक निरंतर जारी रहने वाली प्रकिया है और अतिरिक इमारतें उसमें हमेशा जोड़ी जा सकती हैं। जहां तक युटियों का प्रश्न है वे कितने प्रतिशत हैं। मैं ने कहा 5ङ तो उन्होंने कहा कि 5ङ गलतियां तो सहन की जा सकती हैं और जब जनता के सुझावों और आपत्तियों पर विचार होगा तो इन्हे दुर किया जा सकेगा। वास्तव में सुझावों और आपत्तियों पर विचार प्रक्रिया का उद्देश्य ही यह होता है।

शासन में किसी के द्वारा इस प्रकार का निर्णय लेना ही दुर्लभ बात थी। इससे जाहिर होता है की, एक दृढ और जानकार सिव्हिल सर्वेन्ट का कितना योगदान हो सकता है। इस मामले मे हम डी. टी. जोसेफ को पुरे अंक दे सकते है।

5 सितम्बर 1990 को हेरीटेज समिति के अध्यक्ष जमशेद कांगा व्दारा बृहद्मुम्बई के लिये एक आरंभिक हेरीटेज सूचि अंततः शासन को प्रस्तुत की गई। इसके साथ भेजे गये पत्र में उल्लेख था कि ठसंलग्नठ सूचि आरंभिक है और उसमें सुधार की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन फिर भी इसी स्तर पर इसे शासन को इसलिये भेजा जा रहा है, ताकि शासन इसकी छान-बीन शुरु करदे। दूसरे शासन इस सूचि को महानगर पालिका-निगम को भेग सकता है

ताकि वह किसी भी विकास कार्य को अनुमाने देते समय इस सूचि को ध्यान नें रखे।

एम आर टी पी एक्ट की धारा46के प्रावधनों के अनुसार एस आर टी पी एवट 1966 के अनुसार इस प्रकार के किसी भी प्रस्ताव पर विचार करते समय, प्लानिंग अथार्टी को, विकास कार्य की अनुमति देने से उस प्रस्ताव को उक तरह का वैधानिक आधार प्राप्त हो जाता है।

IX) ड्राफ्ट हेरीटेज कानून और बृहद मुंबई कौ ड्राफ्ट हेरीटेज सूचि का गजट-प्रकाशन

यह हमें तीसरे बहुत महत्वपूर्ण मील के पत्थर तक पहुँचाता हैं। 20 फररी 1991 का वह दिन जिसे हम हमेशा याद रखेने। महाराष्ट्र शासन ने गजट में बाम्बे हेरीटेज रेगूलेशन का ड्राफ्ट प्रकाशित कर जनता से उस पर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किये। शासन ने अलग से पर उसी दिन बृहद् मुंबई के लिये ड्राफ्ट हेरीटेज-सूचि को भी प्रकाशित किया।

यह ध्यान में रखना चाहिये कि कानून और सूचिच दो अलग अलग बातें हैं। लिस्ट कानून का भाग नहीं हैं। जनता की टिप्पणी के आमंत्रण के साथ-

-यद्यापि सूचि का केवल ड्राफ्ट प्रकाशित हुआ था पर एम आर टी पी एवट की धारा 46 के तहत उसे वैधानिक बल प्राप्त था। प्रथम बार मुंबई में और एकादा अपवाद छोड़कर भारत में, पुरातत्व के अतिरिवत, हेरीटेज इमारतों और परिसरो को कानूनी संरक्षण प्राप्त हुआ।

X) 27 सितम्बर 1991 का स्पष्टी करण

हेरीटेज-कानून और सूचि के गजर में प्रकाशित होने के पश्चात लगा कि जनता में ऐसी शंकांए व्याप्त हो गई हैं कि यदि कोई इमारत हेरीटेज-सूचि में आगई है तो उसका मालिक उस पर से अपने सम्पत्ति अधिकार खो बैठेगा। इसलिये शासन ने 27 सितम्बर 1991को एक स्पष्टीकरण-तोटी फिकेशत गजट में प्रकाशित किया। उसमें यह स्पष्ट किया गया कि पहले तो शासन ने अभी तक हेरीटेज कानून को पास नहीं किया है और ड्राफ्ट सूचि को भी अंतिम रुप नहीं दिया गया है कि कौन कौन सी इमारतों को संरक्षण मिलेगा। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि इसे पूरी तरह से समझा नहीं गया है। एक इमारत के सूचि में आजाने का मतलब यह नहीं है कि उसकर उपयोग में-परिवर्तन नहीं किया जा सकता या बेंचा नहीं जा सकता या अन्य प्रकार से ठिकाने नहीं लगाया जा सकता। अनिश्चितता की स्थिति को न्यून तम करने के लिये शासन ने उन परिवर्तनों के बारे में स्पष्ट किया जो भिन्न स्तर की हेरीटेज इमारतों के विषय में किये जा सकेंगे। इसके अलावा उन्होंने आपत्तियों और सुझावों के भेजने की समय-अवधि जो MRTP एवटके अंतर्गत 60दिन है उसे 2महिने और बढ़ा कर कुल 7 महिने करदी।

XI) कुछ समस्यांए

1991से 95 के दौरान, हेरीटेज कानून और सूचि दोनों ही ड्राफ्ट प्रारुप में थे। यह एक ऐसा समय था जब इस प्रकिया में अनेक आपत्तियां आई और झटके लगे। उनमें से कुछ का उल्लेख यहां इसलिये किया जा रहा कि उससे वातावरणीय और हेरीटेज के प्रचार-प्रसार की जो प्रक्रियांए हैं उनकी जानकारी मिलेगी।

सह्याद्रि जो राज्य सरकार का अतिथि गृह है और जो पहले राज्य के मुख्यमंत्री का राजकीय-आवास हुआ करना था तथा जहॉ महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण रहे को हेरीटेज सूचि में रखा गया था। फिर भी शासन ने अतिउच्च स्तर पर,मुख्यमंत्री शरद पवार व्दारा यह निर्णय ले लिया गया कि इस इमारत को गिराकर इसके स्थान पर दूसती इमारत बनाई जाय। दी इंडियन हेरीटेज सोसायटी (घ्ए) के बाम्बे चेप्टर, जिसके तत्कालीन प्रमुख हेता पंडित थी ने इसके गिराये जाते के विरुध्द कोर्ट में एक याचिका दायर करने का इरादा बनाया। 1991 के आरंष में ही वरिष्ठ शासकिय अधिकारियों व्दारा उन्हे धमकी भरा संदेश भेजा गया कि यदि घ्ए व्दारा याचिका दायर की गई तो मुख्य मंत्री

पूरी की पूरी हेरीटेज-सूचि को ही खरिज कर दे गें। चूंकि सूचि तो अभी भी ड्राफ्ट प्रारुप में थी और उनके विरुध्द अनेक आपत्तियों भी दर्ज कराई गई थी तो ऐसी स्थिति में यह मात्र एक खाली धमकी ही नहीं थी।

बहुत सारी बहस के बाद (बिना मनमुराव के नहीं) आखिर -आई एच एस ने याचिका दायर नहीं करने का निर्णय लिया।

अन्य समस्या एक जैन मंदिर की थी (पायधूनी का जैन शांतिनाथ मंदिर), जो मंदिर ट्रस्टियों के अनुसार एक दम जर्जर और गिराऊ था और वे उसे गिराकर पुनर्निमाण करना चाहते थे। हेरीटेज सलाहकार समिति (जो नगर पालिका आयवत को सलाह देती थी) ने इमारत को गिराने और पुननिर्माण के विरुध्द अपनी सलाह दी। सलाहकार समिति व्दारा स्ट्रवचुरल -इंजीनिर्यस की राय ली गई। उनकी राय यह थीकि इमारत को बिना मिटाये उसका पुनर नवीनीकरण किया जा सकता है। नगरपालिका आयुवत शरद काले ने असाधारण रुप से सलाहकार समिति की राय कि नकारते हुए इमारत गिराने की अनुमाने दे दी।

इस अनुमति के विरुध्द दी इंडियन नेशनल ट्रस्ट फार आर्टएंड कल्चरल (ध्र्ऊँण्) और इंडियन हेरीटेज सोसायटी ने एक याचिका कोर्ट में दायर की। सोहराबजी गोदरेज (गोदरेज ग्रुप आफ कंपनीज के अध्यक्ष) जिन्हेंने याचिका पर हस्ताक्षर किये थे, को इसके लिये बहुत अधिक तंग किया गया। उनके आवास और कार्यालय दोनों का घेराव हुआ, प्रदर्शन किये गए पर सोहराब जी द्रढ़ रहे। यहॉ भी 1993 के अंत में धमकी दी गई कि याद याचिका वापस नहीं ली गई तो सभी धार्मिक इमारतों को हेरीटेज सूचि से हटा दिया जायगा। धार्मिक भावनाओं के मद्देनजर यह धमकी भी खाली धमकी न थी पर फिर भी याचिका वापस नहीं लीगई और मेहरबानी पूर्वक धार्मिक इमारतें भी सूचि से नहीं निकाली गईं। फिर भी इसकी एक बड़ी कीमत यह चुकाना पड़ी कि धार्मिक इमारतों के बारे में कानून को ढीलाकर दिया गया।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन घटनाओं के कारण ही हेरीटेज कानून और सूचि को अंतिम स्वीकृति मिलने में देर लगी ओर दूसरे शहरों में भी ऐसी कार्यवाही विलम्बित हुई।

XII) आपत्तियों ओर सुझावों पर विचार

ड्राफ्ट कानून और ड्राफ्ट सूचि सोनों पर ही प्राप्त आपत्तियों और सुझावों को सुनने की एक लम्बी प्रजा तांत्रिक प्रकिया चली।

कुल 935 आपत्तियों और सुझाव प्राप्त हुए थे। प्रत्येक को प्रत्यक्ष सुनवाई के लिये बुलाया गया।

ज्यादा तर लोगों ने, जिन्होंने आपत्तियां और सुझाव दिये थे कहा कि हेरीटेज एक महान विचार है लेकिन उनका सुझाव था कि उनकी इमारत को हेरीटेज सूचि में से निकाल दिया जाए। आर्चीटेवट्स और उनकी प्रोफेशनल ऐसोसिएशन ने तो आम तौर पर कानू नों और सूचि दोनों का ही विरोध किया।

आपत्तियों और सुझावों को सुनने के बाद, इसी के लिये नियुत्क विशेष अधिकारी व्दारा ड्राफ्ट कानून को एक बड़ी हद तक ढीला कर दिए जाने के प्रस्ताव आए। दूसरे एक बडी संख्या में इमारतों और परिसरों को सूचि में से निकाल देने के भी प्रस्ताव किये गए। तीसरे अनेक इमारतों की श्रेणी से तृतीय श्रेणी में ले आये जाने के प्रस्ताव थे। जो कारण दिया गया (ज्यादा तर श्रेणी घटाने के मामलों में)कि इन इमारतों के चारों ओर काफी खाली भूमि है औरइनके मालिकों के हित में यही है कि उन्हे उस खाली जमीन पर निर्माण कार्य करने से न रोका जाय। ड्राफ्ट कानून के अनुसार व्दितीय श्रेणी की हेरीटेज इमारत के आसपास के परिसर में कोई अतिरिवत निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता।

मैं ने इन सभी मामलों पर,शासन के साथ, साल भरतक जोरदार चर्चा की।

एक बड़ी संख्या में बैठकों और लगातार प्रतिनिधित्वों के परिणाम स्वरुप, जो बाते कानून में ढ़ीला पन ला रही थी,

उनमें से अधिकांश को हटा दिया गया। सच पूछो तो,अंत में जो कानून स्वीक्रत हुआ वह उस ड्राफ्ट कानून से जो प्रकाशित हुआ था कहीं अधिक चुस्त-दुरुस्त था।

जहां तक हेरीटेज सूचि में से बाहर निकाल देने का सम्बंध है नगर-विकास सचिन डी टी जिसोफ इस बात से सहमत हो गये कि कुछेक बाहर निकाले गये नामों को फिर से सूचि में ले लिया जाएगा, तो भी चूंकि कानून और सूचि को शीघ्र स्वीकृत करने के लिये दबाब डाला जा रहा था, उन्होंने यह तय किया कि सूचि जैसी है वैसी ही रहते दी जाय लेकिन उन्होंने हेरीटेज संरक्षण समिति को यह निर्देश दिया कि वे सूचि में से निकाले गये सभी नामों का पुनर्निरीक्षण करें।

खुली जगहों के विषय में आइ आपत्तियों को हल करने के बारे में और खुली जगहों को बिना किसी निर्माण कार्य के छोड़े रखने के विषय में काफी बहस के बाद व्दितीय श्रेणी कि हेरीटेज इमारतों / परिसरों को दो भागों में विभाजित किया गया श्रेणी व्दितीय-अ और श्रेणी व्दितीय ब / श्रेणी व्दितीय-अ में जो पहले से प्रावधान था वही रखा गया और श्रेणी व्दितीय-ब में जोअतिरिवत राहत दी गइ वह यह थी कि उसी प्लाट में या कम्पाउंट में एवसटेन्शन करने या अतिरिवत इमारत, वर्तमान हेरिटेज-इमारतों / परिसर से मेलखाती हुई व अनुकूल हो (और किसी तरह से उसकी महिमा न घटाए,विशेष रुप से सामने के भाग में और ऊँचाई में।)-नीचे की श्रेणी की इमारतों (लगभग 100 के करीब) की श्रेणी बढ़ा कर श्रेणी व्दितीय-ब करदी गई।

डी टी जोसेफ तत्कालीन सचिव एंव जी. एस.पंत बाले कुन्द्री - उप सचिव की में सराहना करुगाँ कि जिन्होंने स्वेच्छा से हमारी बातें सुनी और फिर उनके नैतिक साहस की भी, कि उन्होंने अपने स्वयं के निणयों को बदला।

कानून को बहेतर और पूरी तरह दोष हीन बनाने की कोशिसों में हमें सफलता तो मिली पर वह लगभग हमी पर उलट पड़ी। हमारी कोशिसों ने बहुत समय ले लिया और जब 1994 के अंत तक फाइल स्वीक्रति के लिये नगर विकास मंत्री अरुण गुजसाथी के पास पहुँची तो चुनावी प्रकिया शुरु हो गई। एक बार जब चुनाव प्रक्रिया शुरु होती है तो शासन कोई भी नीति सम्बंधी निर्णय या घोषणा नहीं कर सकता। वयों कि अवसर चुनावों के पहले इस प्रकार से जनता को प्रलोभन दिये जाते हैं। यद्यापि हेरीटेज कानून और सूचि किसी को ऐसा लाभ पहुँचाएगें इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। महाराष्ट्र के प्रमुख चुनाव अधिकारी डी. के.शंकरन ने इस मामले को मुख्य चुनाव अधिकारी टी. एन. शेषन के पास निर्णय के लिये भेजा। शेषन ने जब तक चुनाव प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती तब तक कानून और सूचि को अनुमति देने से इन्कार कर दिया। मैं शोसन को अच्छी तरह से जानता थता पर दुर्भाग्य वश उनके इस निर्णय को बदलने की कोशिस करने के किये उन तक नहीं पहुँच सका।

मतदान और मतगणना के मध्य काफी समय का अंतर था। मुझे कहा गया कि एक बार मतदान हो चुकते पर (तब मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रश्न ही नहीं रहता) स्वीक्रति को गजर में प्रकाशित किया जा सकता है पर वैसा हो नहीं सका। चनावों का परिणाम कांग्रेस सरकार की आश्चर्यगनक हार के रुप में आया। आखिर बड़े तनाव-भरे इन्तजार के बाद नये मुख्यमंत्री ने फाइल पर हस्ताक्षरकर दिये। यह कड़ा इन्तजार एक छिपा हुआ वरदान ही सिध्द हुआ। अब दो बिल्कुल भिन्न विचार धाराओं वाली सरकारों ने हेरीटेज कानून ओर सूचि को अनुमोदित कर दिया।

XII) बृहद् मुंबई के हेरीटेज कानून ओर हेरीटेज-सूचि को शासन की स्वीकार-आज्ञा

मुंबई के हेरीटेज आंदोलन में अप्रेल 1995 सर्वाधिक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था साथ ही संपूर्ण भारत के लिये एक सर्वाधक सार्थक समय।

-21 अप्रेल 1995को शासन ने डवलपमेन्ट कंट्रोल रेग्यूलेशन नं.67जो कि दी हेरीटेज रेग्यूलेशन था की स्वीकार-आज्ञा घोषित की।

-दूसरे 24 अप्रेल 1995 को शासन ने हेरीटेज सूचि की स्वीकार आज्ञा घोषित की।

-तीसरे 25 अप्रेल 1995 को, शासन ने अपने गजट में हेरीटेज-संरक्षण समिति के सदस्यों के लिये निधारित योग्यताएं प्रकाशित कीं। इस समिति का कार्य, नगर पालिका आयुत्क को किसी हेरीटेज इमारत / पतिसर में प्रस्तावित निर्माण कार्य को अनुमति दी जाय या नहीं-इस विषय पर सलाह देना था।

-चौथे 25 अप्रेल 1995 को शासन ने बृहद् मुंबई के नगर पालिका आयवत को एक पत्र लिखा जिसमें बहुत से वैधानिक निर्देश थे।

-प्रथम निर्देश तो यह था कि हेरीटेज संरक्षण समिति यह तय करे कि आपत्तियां और सुझाव प्रक्रिया के दौरान लोगों व्दारा सिफारिश की गई इमारतों / परिसरों को सूचि में शामिल किया जाय या नहीं।

-दूसरे हेरीटेज संरक्षण समिति को निर्देश था कि वह शासन व्दारा प्रकाशित मूल सूचि में से निकाली गयी इमारतों / परिसरों के बारे में पुन: परीक्षण करे। पत्र में यह एक बहुत असाधारण निर्देश था। जिसके व्दारा सरकार अपनी खुद की समिति से अपनी ही कार्यवाही के पुन: परीक्षण के लिये कह रही थी।

-तीसरी निर्देश था कि हेरीटेज संरक्षण समिति को 7 अतिरिवत बड़े परिसरों को सूचि में शामिल करने के प्रश्न का जरुर परीक्षण करना चाहिये। ये परिसर हैं मरीन ड्राइव परिसर,नेपियत सी रोड,पुरानर कफ परेड,कूपरेज विकास परिसर,खोदाद सर्किल,गामदेवी परिसर के दक्षिण का क्षेत्र और फाइन गार्डन परिसर माटुंगा।

26 अप्रेल 1995 को शासन ने नगर पालिका आयवत को एक निर्देश जारी किया कि उपरोल निर्देशों पर तुरंत अमल किया जाय और अगले चार माह की अवधि में सूचि में से निकाल गये स्थानों का पुन: परीक्षण कार्य तथा अतिरिवत स्थानों को सूचि में शामिल करने हेतु परीक्षण कार्य,पूरे हो जाना चाहिये।

अनुवादक : ज. कु. निर्मल

■ ■ ■ ■ ■